

को देव हो।

संस्कार/पञ्चकारण उपर

11/18

व्यक्तिगत प्रार्थना की शक्ति/अवस्था
संस्कार/पञ्चकारण उपर
इसके माध्यम से प्रार्थना की जायेगी
को देव हो।

संस्कार/पञ्चकारण उपर

11/19

व्यक्तिगत प्रार्थना की शक्ति/अवस्था
संस्कार/पञ्चकारण उपर
इसके माध्यम से प्रार्थना की जायेगी
को देव हो।

व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा पत्रावली पेश
पर लगे हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से
व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा No Objection को
पर पत्रावली पेश पर ली गई व्यक्ति



द्वारा आवेदन पत्र इसकी आधार 22 नवंबर
सपटि चारा ISICPC प्रस्तुत कर निवेदन
था कि बारी सुखदेव की मृत्यु हो चुकी

जिसके अवरोध पानी सुखदेव व अवरोध
सुखदेव बारासिद्धा अवरोध पत्र सुखदेव की
प्रतिवादी सं. 1 के कप में पञ्चकारण है।

अवरोध के कारण कायम मुकाम बारा
अवरोध किया जाये व्यक्तिगत प्रार्थना ने
Objection किया। अवरोध की संस्था

अवरोध पत्र 022 R3 CPC स्वीकार किया
है तथा अवरोध पत्र सुखदेव की

11/19
संस्कार/पञ्चकारण उपर

बाद पत्र में ज्ञान स्त्री से अकेल विपरीत
अभ्यपक्ष ने राजीनामा पेश कर निर्देन कि
वि सुल वार में भंडारलाल को सहकारिता
दोषित किया जो कि के साथ स्थाई निषेधाज्ञा
दारी की, जिसपर तहसीलदार ने जमाबंदी
में स्थाई निषेधाज्ञा का नोट डंकित कर
दिया जिससे नासानुस्कारण मधी हो रहा है।
अभ्यपक्ष जमाबंदी में डंकित नोट दृष्टाने
दैन्य सहमत है।

आतः अभ्य पक्ष की सहमति से
प्रक्रिया पत्र डोशिक कप से स्वीकार किया
जाकर ग्राम सिमेट के खारा नया 354
पुराना 319 खान 97.678, 1023 से
ज्ञान स्त्री से डंकित नोट, "नोटः राजस्व
वाट से 18/03 न्यायालय स्थापक कलक्टर
(SDO) नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/08
के अनुसार प्रविवादी सुबदेव को जतिने
स्थाई निषेधाज्ञा भूमि विक्रय कराने पर
पाबंद किया है आतः बहरीर क्रमांक 1316
दिनांक 28-08-08 की पालना से ग्रहण
डंकित किया है।" दृष्टाने का डाकेश
दिया जाता है। तहसीलदार को डाकेश प्राप्त
हो निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाकर
सुमान शर्मा पत्रावली का बरतीब तकमीन
दाखिल दफार है।

(सुरारी) ज्ञान शर्मा
उप राज्य अधिकारी
सहायक
(SDO) नागौर